भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2681
जिसका उत्तर गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है

महिलाओं के बीच विधिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना

2681 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री खाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21, जो एलएलबी पाठ्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन में गिरावट दर्शाता है, को ध्यान में रखते हुए विधिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं के उच्च नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) क्या केंद्र सरकार कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए एसटीईएम पाठ्यक्रमों के समान कोई विशेष छात्रवृत्ति / योजनाएं तैयार करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विधिक पाठ्यक्रमों में छात्रों, विशेष रूप से महिला छात्रों, का नामांकन उनकी अपनी पसंद और रुचि का मामला है और यह अन्य संबंधित सामाजिक तथा पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो छात्रों के निर्णय को अवधारित करते हैं।

(ख) : छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) ने विभिन्न पद्धतियों को अपनाया है। एनएलयू अपने छात्रों को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए 'मेरिट-कम-मीन्स' छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। कुछ एनएलयू में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अधीन अतिरिक्त सीटें प्रदान की जाती हैं। केंद्रीय सरकार विभिन्न केंद्रीय सरकार की योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों और दिव्यांगजन छात्रों को छात्रवृत्ति भी मंजूर कर रही है। कुछ राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही हैं और इन छात्रों को बहुत आसान शर्तों पर शिक्षा ऋण भी प्रदान कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।

****